



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233563
CG-DL-E-17022022-233563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695]
No. 695]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ. 715 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, धनबाद (NH419) के कि.मी 50.800 से 65.326 झारखंड राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के धनबाद जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH419 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	डिस्ट्रिक्ट लेन्ड् एक्विज़िषन् औफर्स	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH419 के कि.मी. 50.8 से 65.326 तक	झारखंड	धनबाद	पूर्वी टुण्डी	1	काशीटांड
					2	फतेहपुर	
					3	हलकट्टा	
					4	बरवाटांड	
					5	बेजड़ा	
					6	पियासोला	
					7	पोखरिया	
					8	बलारडीह	
					9	बड़बाद	
					10	शंकरडीह	
					11	भुतगडिया	
					12	लटानी	
					13	पाण्डूवेजरा	
					14	पनरुआ	
					15	केन्दुआटांड	
					गोविंदपुर	1	कुम्हारडीह
						2	खरनी
						3	लाहरडीह
						4	शिवपुर
						5	सरकारडीह
						6	पाथुरिया
						7	करमाटांड
						8	कुसमाटांड

[फा. सं. RW/Ranchi/LA/km.50.8 to km.65.326/NH-419/JHR/2021-22/3a3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 715(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 50.800 to 65.326 of Dhanbad on NH419 in the State of JHARKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH419 in the State of JHARKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	District Land Acquisition Officer	50.8KM To 65.326KM	JHARKHAND	DHANBAD	Purvi Tundi	1	Kashitand
						2	Fatehpur
						3	Halkatta
						4	Barwatand
						5	Bejra
						6	Pialsola
						7	Pokharia
						8	Balardih
						9	Barbad
						10	Shankardih
						11	Bhutgaria
						12	Latani
						13	Pondra Vejra
						14	Panrua
						15	Kenduatand
					Govindpur	1	Kumhardih
						2	Kharni
						3	Lahardih
						4	Shivpur
						5	Sarkardih
6	Pathuria						
7	Karmatand						
8	Kusmatand						

[F.No. RW/Ranchi/LA/km.50.8 to km.65.326/NH-419/JHR/2021-22/3a3]

RAJESH GUPTA, Director